



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9860-DB

आदेश आरक्षित दिनांक :- 20.11.2025

आदेश प्रदत्त दिनांक :- 14.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील सं. - 807 वर्ष 1989

राजपाल

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : खरग सिंह, विकास श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : डी.जी.ए.

चैंबर में.

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशान्त मिश्र-I

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा सुनाया गया)

1. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र श्री रिजवान अहमद और राज्य की ओर से विद्वान एजीए-1 सुश्री मंजू ठाकुर को सुना गया और विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



2. यह वर्तमान आपराधिक अपील बुलंदशहर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 01.04.1989 को सत्र परीक्षण सं. 263 सन् 1983 में पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसमें अपीलकर्ताओं को धारा 148 भा.दं.सं. के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास; धारा 307/149 भा.दं.सं. के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने; धारा 302/149 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास और 2,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना जमा न कर पाने पर अपीलकर्ताओं को दो वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

3. मुकदमे की सुनवाई के दौरान, दो आरोपी, प्यारे और ब्रह्मदेव की मृत्यु हो गई और उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा उपशमित कर दिया गया।

4. उपरोक्त अपील 12 अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई है। दिनांक 27.10.2025 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता सं. 1, 3, 4 और 8, अर्थात् राजपाल, चोको, देवीराम और खमानी के संबंध में अपील पहले ही उपशमित मानकर खारिज कर दी गई है।

5. यह अपील केवल जीवित अपीलकर्ता सं. 2, शंकर पुत्र राजपाल; अपीलकर्ता सं. 5, विजेंद्र पुत्र राजपाल; अपीलकर्ता सं. 6 रूप सिंह पुत्र राजपाल; अपीलकर्ता सं. 7 लखन पुत्र राजपाल; अपीलकर्ता सं. 9 टीकम पुत्र बीरबल; अपीलकर्ता सं. 10, नाम सिंह पुत्र गुलाब; अपीलकर्ता सं. 11 ओम प्रकाश पुत्र गिरवार और धर्मवीर पुत्र देवी के संबंध में सुनी जा रही है।

6. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 21.03.1981 को शाम लगभग 6:00 बजे, सूचनादाता के चचेरे भाई, राजपाल पुत्र गुलाब (पीडब्लू-2) ने आरोपी राजपाल पुत्र गजराज, सरपंच से ईंट बिछाने के काम के लिए मजदूरी के तौर पर 44 रुपये की मांग की। उस समय सरपंच राजपाल अपने दो बेटों, कुंवर पाल और शंकर के साथ अपनी आटा चक्की और ट्यूबवेल पर मौजूद था। इस मांग को लेकर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को गाली दी और मारपीट की। इसके बाद, राजपाल और उसके दोनों बेटों ने राजपाल के अन्य बेटों को बुलाया और दूसरे पक्ष को अपने आदमियों को हथियार लेकर आने की चुनौती दी। इसके तुरंत बाद, बंदूकों से लैस आरोपी बिजेंद्र, रूप सिंह, खमानी और ब्रह्मदेव तथा देसी पिस्तौलों से लैस आरोपी लखन, शंकर, देवी, टीकम, नेम सिंह, ओम प्रकाश और मुंशी लाल तथा लाठियों से लैस चोखे, धर्मवीर, कुंवर पाल और प्यारे मौके पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



पहुंचे और धमकी देकर जान से मारने की नीयत से गोलीबारी और लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। परिणामस्वरूप, जाटव जाति के गरीब और निहत्थे लोग भागने लगे। गोलीबारी में बिजेन्द्र द्वारा चलाई गई गोली से घायल होकर सूचनादाता के पिता खचेरू की मृत्यु हो गई; रूप सिंह द्वारा चलाई गई गोली से घायल होकर श्रीमती नारायणी की मृत्यु हो गई; एवं कल्लू, लालाराम, आनंदी, चमेली, किरन, बासदेव, सालिगराम, किमी. मुंद्रा, हरिओम, नागव, राजपाल पुत्रगण राम सहाय, राजपाल पुत्र नत्थू, राजपाल पुत्र गुलाम, नेकराम, सूरजपाल, रामवीर, चरन सिंह, विजय सिंह, राजपाल पुत्रगण बाबू सिंह को आग्नेयास्त्र से चोटें आईं और बौला पुत्र गुलाब, गोकल और श्याम लाल को लाठी लगने से चोटें आईं। मुंशीराम के उकसाने पर आरोपी देवीराम और कुंवर पाल ने झोपड़ी में आग लगा दी। सौरन जाटव, रामजी दास और अन्य ठाकुरों ने घटना देखी।

7. विवेचनाधिकारी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं शंकर, मुंशी लाल, देबिराम, बिजेन्द्र, रूप सिंह, लखन, खुमानी, टीकम सिंह, नेम सिंह और ओम प्रकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 307/149 और 302/149 के तहत आरोप तय किए। आरोपी चोखे, धर्मवीर, कुंवरपाल और राजपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 307/149 और 302/147 के तहत आरोप तय किए गए, और अन्य आरोपियों देबिराम, कुंवरपाल और मुंशी पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के तहत आरोप लगाए गए।

8. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1, राजाराम (सूचनादाता); पीडब्लू-2, राजपाल पुत्र गुलाब; पीडब्लू-3, डॉ. एस.सी. सिंह; पीडब्लू-4, चोके लाल पुत्र दयाराम; पीडब्लू-5, कांस्टेबल टीकम सिंह; पीडब्लू-6, डॉ. के.एन. सिंह; पीडब्लू-7, एच.सी. मुख्तार सिंह; पीडब्लू-8, डॉ. डी.बी. सिंह; पीडब्लू-9, सब इंस्पेक्टर सरदार सिंह; और पीडब्लू-10, इंस्पेक्टर वी.एस. तोमर की गवाही ली। पीडब्लू-1 ने एफ.आई.आर. के अनुसार अभियोजन पक्ष के मामले को साबित किया और थाने में दर्ज रिपोर्ट और घटनास्थल से बरामद कारतूस्सों के बरामदगी ज्ञापन को भी साबित किया।

9. पीडब्लू-2, राजपाल ने साबित किया कि राजपाल सरपंच को उससे 44 रुपये मजदूरी के रूप में देने थे, जो उसने उससे माँगी थी। उस समय शंकर और कुंवरपाल भी वहाँ मौजूद थे। उक्त राशि को लेकर उसका राजपाल सरपंच से विवाद हुआ। इसके बाद वह अपने घर चला गया। बाद में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



उसने गोलीबारी की आवाज सुनी और जब उसने खिड़की खोली तो उसे छर्रे लगे और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने यह नहीं देखा कि किसने किसे घायल किया। उसी दिन खचेरू और श्रीमती नारायणी की गोली लगने से मृत्यु हो गई, जबकि हरिओम की 4-5 दिन बाद मृत्यु हो गई। अन्य घायलों के साथ उसकी भी चिकित्सकीय जाँच की गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे चोटें किसने पहुँचाईं।

10. पीडब्लू-3, डॉ. एस.सी. सिंह ने निचली अदालत के समक्ष घायलों की चिकित्सा रिपोर्ट साबित की।

11. पीडब्लू-4, चोखे लाल ने साबित किया कि शोर सुनकर वह घटना स्थल पर गया, जहाँ पीडब्लू-2, राजपाल, आरोपी राजपाल सरपंच से अपनी मजदूरी की माँग कर रहा था। राजपाल सरपंच के बेटों और पीडब्लू-2 के बीच झगड़ा हुआ और राजपाल सरपंच ने अपने बेटों को अपने आदमियों को बुलाने के लिए कहा। 15-20 मिनट बाद सभी आरोपी बंदूकें और देसी पिस्तौलें लेकर आए और गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें खचेरू, नारायणी और हरिओम की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए।

12. पीडब्लू-5 औपचारिक गवाह है।

13. पीडब्लू-6, डॉ. के.एन. सिंह ने मृतक हरिओम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया।

14. पीडब्लू-7 भी औपचारिक पुलिस गवाह है।

15. पीडब्लू-8, डॉ. डी.बी. सिंह ने खचेरू और श्रीमती नारायणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को साबित किया।

16. पीडब्लू-9 भी औपचारिक गवाह है।

17. पीडब्लू-10 ने साबित किया कि पीडब्लू-11, विवेचनाधिकारी के तबादले के बाद, उन्होंने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

18. पीडब्लू-11 ने अपने द्वारा की गई विवेचना के दस्तावेजों और अभिलेखों को प्रमाणित किया।

19. मोहन लाल को विचारण न्यायालय के समक्ष पीडब्लू-1 के रूप में पेश किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों के बयान धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि झूठे साक्ष्यों के आधार पर उन्हें शत्रुता और पार्टी राजनीति के कारण इस मामले में फंसाया गया है। पुलिस ने मामले की ठीक से विवेचना नहीं की।

21. अभियुक्त राजपाल ने अपने बचाव में कहा कि वह लकवाग्रस्त था और 31.03.1981 को बग्गी से इलाज के लिए देबाई ले जाया गया था। रास्ते में बग्गी एक खाई में गिर गई और उसे चोटें आईं। 22.03.1981 को उसे अस्पताल ले जाया गया और 23.03.1981 को उसे जेल भेज दिया गया।

22. अभियुक्त खुमानी ने बताया कि 18.03.1981 को सुबह 9:00 बजे देबाई थाने का इंस्पेक्टर उसके पास आया और हिरण के शिकार के लिए उसकी बंदूक और कारतूस मांगे, जिसे उसने देने से इनकार कर दिया। उसी दिन, रात 9:00 बजे, चार कांस्टेबल आए और उसकी बंदूक और कारतूस ले गए। 21.03.1981 को उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया और उसकी बंदूक और कारतूस कभी वापस नहीं किए गए।

23. आरोपी टीकम सिंह ने बताया कि उसे बाद में पता चला कि जाटवों के दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। चूंकि सभी घायल एक ही गुट के थे, इसलिए ओमपाल सिंह के बयान पर उसे झूठा फंसाया गया।

24. आरोपी नेम सिंह ने बताया कि ओमपाल सिंह ने उसे इस मामले में झूठा फंसाया है।

25. आरोपी देवीराम ने अभियोजन पक्ष के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि वह खुर्जा स्थित विद्युत विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत है और घटना की तारीख 21.03.1988 को वह दोपहर 2:00 बजे से रात 10:00 बजे तक इयूटी पर था। ओमपाल सिंह ने पार्टी की राजनीति के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया है।

26. आरोपी चोखे ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का खंडन करते हुए कहा कि उसकी 5 बीघा जमीन राजपाल सिंह के ट्यूबवेल के पास स्थित थी, लेकिन राजपाल ने उसे अपनी जमीन की सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया; इसलिए उसकी आरोपी राजपाल से दुश्मनी थी। उनकी जमीन के पास

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



जाटवों और उनके पशुओं की आबादी थी, जिन्होंने उनकी फसलें नष्ट कर दीं और इसी दुश्मनी के कारण उन्हें उनके भाई रामवीर के साथ इस मामले में फंसाया गया था।

27. आरोपी धर्मवीर ने अपने अतिरिक्त बयान में कहा कि आरोपी चोखे उसका सगा भाई है और उनका बयान सही है। दोनों भाई मिलकर खेती करते हैं।

28. आरोपी लखन ने बताया कि घटना वाले दिन वह गांव में नहीं था और अपने ससुराल में अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था।

29. आरोपी ओम प्रकाश ने बताया कि उसने खचेरू, नारायणी और हरिओम की हत्या के उद्देश्य से कोई गैरकानूनी सभा नहीं की, न ही उसने राजाराम और अन्य लोगों को चोट पहुंचाई, न ही उसने किसी की झोपड़ी में आग लगाई। घटना के समय वह अपनी बहन के विवाह के लिए उपयुक्त वर की तलाश में गाजियाबाद गया था। वह गाजियाबाद में बीमार पड़ गया और 20.03.1981 से 23.03.1981 तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह अपने बचाव में डॉक्टर को पेश करेगा।

30. आरोपी, विजेंद्र सिंह पुत्र राजपाल ने कहा कि उसे इस मामले में केवल इसलिए फंसाया गया है क्योंकि वह राजपाल सिंह का पुत्र है, जिसने दूसरी महिला से शादी कर ली है और उसे घर से निकाल दिया है। वह 1965 से अपने पिता से अलग रह रहा है और मुरादाबाद में तैनात एक सरकारी कर्मचारी है। घटना के समय वह गांव में मौजूद नहीं था।

31. आरोपी मुंशी लाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को नकारते हुए कहा कि उसकी न तो घायल से और न ही मृतक से कोई दुश्मनी थी। वह पिछले लगभग 14 वर्षों से अलीगढ़ में वकालत कर रहा है। ओम प्रकाश सिंह, कुबेर इंटर कॉलेज, देबाई में शिक्षक था और देबाई के थाना अधिकारी विक्रम सिंह तोमर के साथ उसके अच्छे संबंध थे। रमेश चंद्र उसका चचेरा भाई है, जिसने 1979 में बीरबल सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसी समय, उसके चाचा ओम प्रकाश ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन वह दर्ज नहीं हुई। इसके बाद, ओमपाल सिंह के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई, जिसके कारण ओम प्रकाश और विक्रम सिंह ने उसे इस मामले में झूठा फंसा दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



32. डीडब्लू-1 विपिन कुमार अग्रवाल, जो मुरादाबाद के परियोजना निदेशक के कार्यालय में कनिष्ठ लेखा क्लर्क है, ने बताया कि आरोपी विजेंद्र 20.03.1981 से 22.03.1981 तक अवकाश पर था और उसने थाने से अवकाश के लिए कोई आवेदन नहीं दिया था। इस संबंध में आरोपी को एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसे उसने न्यायालय के समक्ष सिद्ध किया।

33. डीडब्लू-2, ओमपाल ने बताया कि आरोपी मुंशी लाल उसका भतीजा है। लगभग 9 वर्ष पूर्व, बीरबल और अन्य लोगों ने उसके खेत से आम तोड़े थे और इसकी सूचना थाने में दर्ज कराई गई थी, जहाँ एसएचओ विश्राम सिंह ने रिश्तत की मांग की थी, जिसके कारण उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई थी। शिकायत दर्ज की गई और न्यायालय के समक्ष सिद्ध हुई। बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक को संबोधित सांसद का दिनांक 15.05.1979 का पत्र भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया और सिद्ध हुआ।

34. डीडब्लू-3, डॉ. प्रेम शंकर ने बताया कि वह 20.03.1981 को अलीगढ़ के काज़ीबाद स्थित सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत था और उसने अस्पताल के ओपीडी और आईपीडी रजिस्टर के साथ-साथ अपने द्वारा इलाज किए गए रोगियों का विवरण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।

35. डीडब्लू-4, कन्हैया सिंह ने बताया कि वह 1981 में करनसिंहपुर गांव का प्रधान था। जब राजपाल अपनी पत्नी के साथ बगगी में यात्रा कर रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें राजपाल को सिर में चोट आई। उस समय वह बीमार लग रहा था।

36. डीडब्लू -5 बलबीर सिंह ने साबित किया कि आरोपी देबीराम बकराला बिजली उप-स्टेशन में लाइनमैन के रूप में काम करता था और लॉग शीट की एक फोटोकॉपी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गई। उसने बताया कि बिजली विभाग में होली और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों पर कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाती है।

37. बचाव पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।

38. डीडब्लू-1 ने साबित किया कि आरोपी मुंशीलाल ने 14.05.1979 को सांसद के समक्ष विश्राम सिंह, एसएचओ, देबाई के खिलाफ आवेदन दिया था, जिसमें उसने कहा था कि उसकी मुंशीलाल और उसके चाचा ओम प्रकाश से दुश्मनी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



39. विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद 12 आरोपियों को दोषी ठहराया और उनमें से दो, मुंशी लाल और कुंवर पाल को बरी कर दिया।

40. दोनों पक्षों की दलीलों, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री और विचारण न्यायालय के फैसले एवं आदेश पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि इस मामले का मुख्य गवाह पीडब्लू-2, राजपाल है, जो स्वयं भी घायल हुआ था। पूरा विवाद उसके और आरोपी सरपंच राजपाल के बीच शुरू हुआ था, और अपराध के हेतुक में वह भी शामिल था, क्योंकि आरोपी सरपंच राजपाल के साथ उसकी 44 रुपये की मजदूरी को लेकर हुए विवाद के कारण ही यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें तीन लोगों की जान चली गई और 23 लोग घायल हो गए।

41. पीडब्लू-1, राजाराम, घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और वह मृतक खचेरू का पुत्र है। वह एक हितबद्ध गवाह है जिसने खचेरू और श्रीमती नारायणी को क्रमशः घातक गोली लगने से घायल करने में विजेन्द्र और रूप सिंह की विशिष्ट भूमिका बताई है। अदालत के समक्ष अपने बयान में, उसने आरोपी विजेन्द्र और रूप सिंह को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी और यह भी स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा, तो उसने राजपाल सरपंच और गुलाब (पीडब्लू-2) के पुत्र राजपाल को मौखिक बहस करते देखा। इसके बाद, राजपाल सरपंच ने उकसाने के बाद अपने बेटों, शंकर और कुंवरपाल को अपने गिरोह के सदस्यों को लड़ाई के लिए बुलाने भेजा। हालांकि, अदालत के समक्ष अपने बयान में, उसने स्वीकार किया कि सह-आरोपी शंकर और कुंवरपाल घटना स्थल पर नहीं देखे गए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे नहीं पता कि विजेन्द्र, खमानी, ब्रह्मदेव और रूप सिंह के पास बंदूकें थीं या नहीं, और उसे यह भी नहीं पता कि हथियार देसी थे या किसी अन्य प्रकार के। इस गवाह को यह सुझाव दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट ओमपाल शिक्षक और पुलिस की मिलीभगत से दर्ज कराई गई थी, और यह भी सुझाव दिया गया कि घटना वाले दिन सह-आरोपी देवीराम और विजेन्द्र गांव में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे खुर्जा और मुरादाबाद में सरकारी नौकरी कर रहे थे। उसने इस बात से इनकार नहीं किया।

42. पीडब्लू-2, अर्थात् राजपाल पुत्र को पक्षद्रोही गवाह घोषित किया गया। वर्तमान घटना पीडब्लू-2 और सरपंच राजपाल के बीच शुरू हुई और उसने स्वीकार किया कि उनके बीच झगड़े के बाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



वह अपने घर चला गया और उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उसे यह पता है कि किसने और किसकी गोली चलाई जिससे घायल और मृतक घायल हुए।

43. पीडब्लू- 4 एक बेहद हितबद्ध और पक्षपाती गवाह है, क्योंकि वह गांव के एक गिरोह से करीबी रिश्तेदार है और अपने बयान में उसने स्वीकार किया है कि ओमपाल सिंह मृतकों के परिवारों को पैसे और अनाज देकर मदद कर रहा था और थाने में उसका दबदबा था। पीडब्लू- 4 उस कॉलेज में चपरासी है जहां ओमपाल शिक्षक था और कॉलेज में चपरासी के पद पर उसकी नियुक्ति का ओमपाल ने समर्थन किया था। उसने स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत उसका बयान घटना के 7 दिन बाद दर्ज किया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि शोर सुनकर वह घटना स्थल पर पहुंचा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि घटना शुरू होते ही वह पहले घटनास्थल से भाग गया और अपने घर में छिप गया, और 3 घंटे बाद जब उसे पता चला कि पुलिस आ गई है, तब वह घर से बाहर आया। स्पष्ट रूप से पीडब्लू- 4 उसी गाँव का निवासी है, इसलिए उसने पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों के टालमटोल भरे उत्तर दिए हैं। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने ऐसे हितबद्ध और पक्षपाती गवाह की गवाही पर भरोसा करके घोर गैरकानूनी कार्य किया है।

44. घटना के चश्मदीद गवाह होने के बावजूद, घायलों में से कोई भी विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष का मामला साबित करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, जबकि उनकी गवाही अभियोजन पक्ष का मामला साबित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी पक्ष के भय के कारण वे निचली अदालत के समक्ष अपने बयान देने का साहस नहीं जुटा सके।

45. चाहे जो भी हो, हम उन साक्ष्यों के आधार पर अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार नहीं रख सकते, जो अदालत में विश्वास पैदा नहीं करते और अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह से परे साबित नहीं करते, इस तथ्य के बावजूद कि यह तीन व्यक्तियों की दिनदहाड़े हत्या और 23 व्यक्तियों को अनेक चोटें पहुंचाने का मामला है। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा अनुमानों पर आधारित है, जिन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



46. तदनुसार, निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश रद्द किया जाता है। जीवित अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनका बंधपत्र रद्द किया जाता है और जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है। उन्हें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

47. यह आपराधिक अपील स्वीकार की जाती है।

48. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निचली अदालत का रिकॉर्ड दो सप्ताह के भीतर लौटा दें और निचली अदालत को भी निर्णय की सूचना दें।

49. विद्वान न्यायमित्र श्री रिजवान अहमद को बिल जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर उनकी पेशेवर फीस 15,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

14 जनवरी, 2026

अभिषेक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।